राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1178/2012/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन जोन तृतीय, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बी.के.गुप्ता एण्ड सन्स,
चौड़ा रास्ता जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री शीतांशु शर्मा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/09/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 339/अपील्स–III/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन तृतीय जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6), 76(12)(13), एवं 55 के तहत कायम शास्ति 1,25,920/– एवं कर रूपये 20,987/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 11 जनवरी 2011 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन तृतीय जयपुर (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा रामगढ़ मोड़, जयपुर पर वाहन संख्या आर.ज.14 जी.सी. 5150 को चैक किया गया। जांच अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर वाहन चालक ने वाहन में लदे माल से संबंधित दस्तावेजात् में प्रीत रोड़ लाईन्स काशीपुर की जी.आर. संख्या 296 दिनांक 09.01.2011 एवं पी.एन.पेपर मिल्स प्रा.लि. किचा का इनवाईस संख्या 626 दिनांक 09.01.2011 पेश किया तथा मैसर्स बी.के. गुप्ता एण्ड सन्स,1453 सांधी जी की गली, चौडा रास्ता, जयपुर के यहां डुप्लेक्स बोर्ड पी.सी.बी./जी.बी. कुल कीमत रूपये 4,04,226/– का किचा से जयपुर के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। तथा परिवहनित माल के साथ वैट–47 नहीं पाया गया जिसे जांच अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लघंन मानकर अभियोग बनाकर पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी। सशक्त अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन कर वाहन में लदे माल में "अभ्यास पुस्तिकाओं सहित सभी प्रकार के कागज एवं कागज उत्पाद" के भी पाये गये जिसके लिये अधिसूचित माल (Notified Goods) की श्रेणी में होने से वैट 47 संलग्न किया जाना वैधानिक बाध्यता हैं जो अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी

लगातार.....2

किया गया। जिसकी पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपने जवाब के साथ वैट 47 संलग्न किया है जिसे सशक्त अधिकारी के द्वारा स्वीकार योग्य इसलिये नहीं माना गया क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वैट 47 में पार्ट–सी में स्थान, दिनांक, नाम, स्टैटस व हस्ताक्षर के कॉलम खाली थे तथा माल की कीमत मे काटछाट कर रखी थी। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर माल की कीमत रूपये 4,04,262/– एवं भाडा रूपये 15,472/– कुल योग रूपये 4,19,734/– पर धारा 76(6) के तहत् 30 प्रतिशत से शास्ति रूपये 1,25,920/– एवं कर राशि रूपये 20,987/– कुल मांग राशि रू 1,46,907/– की मांग कायम की गई। जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.01.2012 के द्वारा स्वीकार कर आरोपित मांग राशियों को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि वाहन चालक एवं माल प्रभारी के पास ओर कोई दस्तावेज प्रपत्र, घोषणा पत्र आदि नहीं पाये गये वाहन में लदा माल "अभ्यास पुस्तिकाओं सहित समस्त प्रकार के कागज एवं कागज उत्पाद" की श्रेणी का है उक्त माल घोषित माल होने की श्रेणी में होने से वैट 47 संलग्न करना एक वैधानिक बाध्यता है। अर्थात माल के साथ वैट 47 नहीं पाया जाना अधिनियम की विधिक प्रकिया का उल्लंघन है। जिसको अपीलीय अधिकारी ने बिना तथ्यों को ध्यान रखते हुए अपास्त किया है वह अनुचित व विधि विरूद्ध है जिसको अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं कर अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। उन्होंने उक्त प्रकरण मैसर्स डी.पी. मेटल्स में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए निवेदन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ ही वैट 47 प्रस्तुत कर दिया गया था। जिससे प्रत्यर्थी व्यवहारी की कोई कर चोरी की गंशा प्रतीत नहीं होती है। अतः विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी के मांग राशियों को निरस्त किया जाना विधिनुकूल है। अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रागरत रेकार्ड का अवलोकन करने तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी–व्यवहारी पर शास्ति एवं कर आरोपित करने से पूर्व विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब/दस्तावेजात का अवलोकन विवेक से नहीं किया। विद्वान

लगातार.....3

अभिभाषक द्वारा दिया गया यह तर्क कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कार्यालय से वैट 47 जारी करवाया हुआ था जिसे ओवरसाइट क कारण संलग्न नहीं किया। रिकार्ड के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने जवाब के साथ वही वैट 47 संलग्न किया है जिसका नम्बर परिवहन के समय प्रस्तुत बिल में अंकित थे अतः प्रस्तुत जवाब व वैट–47 **माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मैसर्स डी.पी. मैटल्स (2001) 124 एसटीसी 611** के अनुसरण में सारगर्भित होने से स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क भी सारगर्भित है कि वक्त जांच प्रस्तुत बिल संख्या 626 दिनांक 09.01.2011 पर वैट 47 का नम्बर 7036040 अंकित था वही वैट 47 जवाब के साथ प्रस्तुत भी कर दिया गया। इस प्रकार भूल से यदि वैट–47 पीछे रह गया था, तो वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय मै. डी.पी.मेटल्स (2001) 124 एसटीसी 611 के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्यर्थी की कोई चोरी या तथ्य छिपाने की मनोदशा नहीं रही है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए, अधिनियम की धारा 76(12) के तहत कर एवं 76(6) के तहत शास्ति का अधिरोपण विधिसम्मत नहीं है। यदि सशक्त अधिकारी को प्रस्तुत दस्तावेजों पर किसी प्रकार का संदेह था तो वह उक्त दस्तावेजों की जॉच व सत्यापन विक्रेता व्यवहारी से कर सकते थे, किन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार की जॉच व सत्यापन नहीं किया गया तथा सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी –व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात को भी मिथ्या प्रमाणित नहीं किया गया है।

7. अतः अपीलीय अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की है जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

8. परिणामस्वरूप विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य